# उद्योग संचालनालय

मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

कमांकः 14/सत/(6)/2006/10 भोपाल, दिनांक 20-4-2022

परिपत्र

शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली वर्ष 2021-22 लिखे जाने के संबंध में संलग्न मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कमांक एफ 05-01/2020/1/9 दिनांक 1.4.2022 द्वारा निम्नानुसार प्रकिया एवं समयसीमा निर्धारित की गई है :-

| | | |
|---|---|---|
| 1. संबंधित शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों को फार्म उपलब्ध कराए जाने की तिथि | — | 30 अप्रैल |
| 2. सेल्फ असेसमेंट फार्म प्रस्तुत करने की अवधि | — | 30 जून |
| 3. प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन | — | 31 अगस्त |
| 4. समीक्षक अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन | — | 30 सितम्बर |
| 5. स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन | — | 30 नवम्बर |

2/ इस प्रकार सभी स्तरों से अंतिम रूप से मतांकन की अंतिम तिथि कलेण्डर वर्ष की अंतिम तिथि अर्थात् 31 दिसम्बर रहेगी।31 दिसम्बर की स्थिति में सभी ए.सी.आर. संधारण विभाग के संरक्षण में संधारित की जावेगी । self assesment प्रस्तुत होने की तिथि में वृद्धि होने से उतने ही दिनो की सभी स्तरों पर वृद्धि होगी किन्तु 31 दिसम्बर अंतिम तिथि रहेगी ।

यदि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी ने अपना स्वमूल्यांकन ही उसके निर्धारित अंतिम तिथी 30 जून तक प्रस्तुत नही किया है, तो उसे भी समय बाधित माना जाएगा और तदाशय की सील गोपनीय प्रतिवेदन पर अंकित की जावेगी और प्रतिवेदक गोपनीय प्रतिवेदन बिना स्वमूल्यांकन कर लिखेंगे ।

**31 दिसम्बर के पश्चात् दर्ज होने वाले मतांकन को समय बाधित माना जावेगा और तदाशय की सील गोपनीय प्रतिवेदन पर अंकित की जायेगी**

समस्त अधिकारियों से भी अपेक्षा है कि वे निर्धारित समय-सीमा में अपना मतांकन कर आगामी कार्यवाही हेतु चरित्रावली प्रस्तुत करने की सूचना अनिवार्यतः संचालनालय को प्रस्तुत करेगें, अन्यथा समय पर गोपनीय चरित्रावली न लिखने वाले प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारियों से विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाकर संबंधित दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए, दोषी अधिकारी के गोपनीय प्रतिवेदन में इसका उल्लेख किया जावेगा ।

समस्त प्रतिवेदक अधिकारी/समीक्षक अधिकारी भी निर्धारित समय सीमा में अपना मतांकन कर आगामी कार्यवाही हेतु चरित्रावली प्रस्तुत करने की सूचना अनिवार्यतः संचालनालय को प्रस्तुत करेंगे।

उद्योग आयुक्त
मध्यप्रदेश

चौथी मंज़िल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल-462 004 (म.प्र.) फोन : 91-0755-2677988, 2677966(O)

# उद्योग संचालनालय

मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग



कमांकः 14/सत/(6)/2006/467-561

भोपाल, दिनांक 20-4-2022

प्रतिलिपिः—

1. प्रबंध संचालक, म0प्र0 स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन सेडमेप भवन भोपाल।
2. प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प विकास निगम, भोपाल।
3. कार्यकारी संचालक, एम0पी0 आई.डी.सी., क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल /इंदौर/जबलपुर/ रीवा/ ग्वालियर ।
4. संयुक्त संचालक उद्योग, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, भोपाल/इंदौर/जबलपुर/रीवा/ ग्वालियर/ उज्जैन/सागर।
5. उप/सहायक संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
6. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र————————————

की ओर प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि विभाग द्वारा निर्धारित चेनल प्रणाली विभागीय बेवसाईट www.mpmsme.gov.in पर उपलब्ध है। प्रणाली अनुसार गोपनीय चरित्रावली पर मतांकन कराकर निर्धारित समयसीमा अनुसार मुख्यालय भेजना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त निर्देशित किया जाता है कि समस्त अधिकारी/कर्मचारियों की एकजाई गोपनीय चरित्रावली प्रेषित की जावे तथा गोपनीय चरित्रावली वर्ष 2021—2022 में आपके कार्यालय में पदस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सुस्पष्ट नाम, पदनाम, सील मय हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, अन्यथा गोपनीय प्रतिवेदन स्वीकार योग्य नही होगा। **उल्लेखनिय है कि प्रायः यह देखा गया है कि महिला शासकीय सेवक द्वारा अपने नाम के पूर्व कु0/सुश्री या श्रीमती का उल्लेख नही किया जाता है जिसके कारण सरनेम परिवर्तन होने पर फोल्डर में गोपनीय चरित्रवली के संधारण में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है अतः मतांकन के पूर्व गोपनीय चरित्रावली मे महिला शासकीय सेवक के नाम के पूर्व कु0/सुश्री या श्रीमती का उल्लेख सूनिश्चित किया जावे ।**

7. जिला रोजगार अधिकारी छिन्दवाड़ा ।

8. जिला शहरी विकास अभिकरण होशंगाबाद/ग्वालियर ।

9. आदेश प्रति

(हस्ताक्षर)

उप संचालक उद्योग,
कृते उद्योग आयुक्त

चौथी मंजिल, विन्ध्याचल भवन भोपाल- 462 004 (म.प्र.) फोन : 91-0755-2677988, 2677966(O)